



कार्यालय अपर महानिदेशक
राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नार्कोटिक्स अकादमी,
क्षेत्रीय परिसर, जयपुर
117, संतोष नगर, सिविल लाइन्स मेट्रो स्टेशन के पास, अजमेर रोड,
जयपुर-302006



(Mail ID-nacinzti-jai-rj@gov.in; Tel.No.0141-2225001-4, Fax No.0141-2225002)

सेवा में

श्रीमान मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर, जयपुर ज़ोन, जयपुर
प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, अलवर / जयपुर
आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, जोधपुर/उदयपुर
आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर अंकेक्षण आयुक्तालय, जयपुर/जोधपुर
आयुक्त सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, जोधपुर (मुख्यालय-जयपुर)
आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर अपीलस आयुक्तालय, जयपुर/जोधपुर
अपर महानिदेशक, डी. जी. जी. आई. जयपुर
अपर निदेशक, डी. आर. आई., जयपुर

महोदय

विषय- दिनांक 29-30.04.2021 को "Classification and Valuation of Goods under Customs Law" विषय पर ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए नामांकन भिजवाने के संदर्भ में।

राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नार्कोटिक्स अकादमी, क्षेत्रीय परिसर, जयपुर के द्वारा दिनांक 29-30 अप्रैल 2021 को उपरोक्त विषय पर दो दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करवाया जा रहा है।

2. प्रशिक्षण कार्यक्रम की अनुसूची इस प्रकार है: -

दिनांक	सत्र/ समय	विषय
29.04.2021/ Thursday	I & II 11:00-13:30 Hrs	Classification of Goods under Customs Law
30.04.2021/ Friday	I & II 11:00-13:30 Hrs	Valuation of Goods under Customs Law

3. इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप उक्त ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए अपने मुख्यालय से उप /सहायक आयुक्त के पद तक के अधिकारियों को नामित करें और उनका विवरण निम्नलिखित प्रारूप में nacinzti-jai-rj@gov.in- पर ई-मेल द्वारा प्रेषित करें ।

क्रमांक	अधिकारी का नाम	पद	मोबाइल न.	ईमेल आईडी

4. Webinar MICROSOFT TEAMS APP पर आयोजित किया जाएगा। नामांकित प्रतिभागियों को अपने पीसी / लैपटॉप / मोबाइल पर उक्त ऐप डाउनलोड करना होगा और फिर लिंक पर क्लिक करके webinar में शामिल होना होगा, जो बाद में प्रतिभागियों को सूचित किया जाएगा। किसी भी प्रतिभागी को ऐप डाउनलोड करने अथवा प्रशिक्षण में शामिल होने में कोई कठिनाई होती है तो वह इस सन्दर्भ में श्री अमन कुमार यादव, कर सहायक, मोबाइल नंबर 7976458342 से सम्पर्क कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

5. आप के व्यक्तिगत सहयोग की कामना करते हैं ।

6. यह पत्र सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया जा रहा है ।

भवदीय

अपर निदेशक